राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन संख्या 96 एवं 97/2017 (अपील संख्या 1889–1890/2013/जयपुर निर्णय दिनांक 06.06.2017)

उनवान

मैसर्स एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स लि0, जयपुर बनाम् वा.क.अ. एई, राजस्थान–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/09/2018	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। ये दोनों रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र अपील संख्या 1889 एवं 1890/2013/जयपुर में दिये गये निर्णय दिनांक 06.06.2017 के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सर्वेक्षण अधिकारी के क्षेत्राधिकार को लेकर उन्होंने अपीलीय अधिकारी एवं कर बोर्ड की खण्डपीठ के समक्ष यह बिन्दु विवादित किया था परन्तु न तो अपीलीय अधिकारी ने तथा न ही विद्वान खण्डपीठ ने ही इस बिन्दु पर कोई निर्णय दिया है, अतः मूल निर्णय दिनांक 06.06.2017 में संशोधन कर उक्त बिन्दु पर व्यवस्था/निर्णय देने हेतु ये संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F.12(62)FD/Tax/2011-44 Dated 12.09.2011 के द्वारा घोषित "व्यवहारी सम्मान योजना –2011" के अंतर्गत अपीलार्थी व्यवहारी का चयन कर सम्मानित किया गया था। इस योजना के क्लॉज–6(i) के अनुसार ऐसे सम्मान पत्र धारक व्यवहारियों का सर्वेक्षण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान की विशिष्ट लिखित अनुमति के पश्चात किये जाने के ही प्रावधान हैं, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा आयुक्त की विशिष्ट अनुमति के बिना ही सर्वेक्षण कार्य किया गया जो कि void ab initio होने से जांच अधिकारी के क्षेत्राधिकार से परे था, अतः सक्षम अनुमति के बिना किया गया सर्वेक्षण आरम्भ से ही प्रभाव शून्य है। इस कारण उन्होंने जांच अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी की कार्यवाही को अविधिसम्मत घोषित करने का निवेदन किया एवं आदेश दिनांक 06.06.2017 को तदनुसार संशोधित करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने जांच अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी की कार्यवाही को विधिसम्मत बताया एवं जाहिर किया कि अपीलार्थी का सर्वेक्षण उपायुक्त (प्रशासन) एन्टीईवेजन, राजस्थान, जयपुर की लिखित अनुमति क्रमांक 87 दिनांक 18.09.2012 की पालना में ही किया गया एवं RVAT Act, 2003 की धारा 75 एवं नियम 51 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, अतः अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में आपत्ति किया जाना पूर्णतः अनुचित होने के कारण प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना निरन्तर.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन संख्या 96 एवं 97/2017 (अपील संख्या 1889–1890/2013/जयपुर निर्णय दिनांक 06.06.2017)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/09/2018	पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक प्रारम्भिक आपत्ति यह भी पेश की है कि अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध रिविजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है, अतः अब उक्त आदेश में संशोधन किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अविधिसम्मत है। हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। यह तथ्य विवादित नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन पिटिशन दायर कर दी है जिनके SB STR No. 195-196/2017 हैं। उक्त रिवीजन पिटिशन के बिन्दु संख्या 2 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण की विशिष्ट अनुमति नहीं होने के कारण एन्टीईवेजन अधिकारियों द्वारा की गई सर्वेक्षण की कार्यवाही को बिना क्षेत्राधिकार के बताते हुए इसे अविधिसम्मत बताया है एवं रिवीजन पिटिशन में उक्त कार्यवाही को अविधिक एवं प्रभावशून्य (illegal and void ab initio) घोषित करने की प्रार्थना की है। चूंकि प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्रों में उठाया गया बिन्दु अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिवीजन पिटिशन में उठाया गया है, अतः उक्त बिन्दु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने (subjudice) होने के कारण इस बिन्दु पर कर बोर्ड द्वारा अब कोई निर्णय किया जाना उचित नहीं होने से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। निर्णय प्रसारित किया गया। (ओ.एस.आशिया) सदस्य (मदनलाल मालवीय) सदस्य	